DBT Scheme of Women Empowerment & Child Development Department , Uttarakhand

S. N.	Scheme Name	State Scheme Code	Center Scheme Code	Type	Category	Name of the implementing Ministry/Department	Grant Number	Head Code
1	Scheme for Adolescent Girls	EK8UD	B2QGW	Cash	CSS	WECD	15	2235021020107,
2	Umbrella ICDS-Anganwadi Services-Honorarium to AWW and AWH (Grant 31)	EKGNM	BAF57	Cash	CSS	WECD	31	2235027960102,
3	Umbrella Icds Anganwadi Services Honorarium To Aww And Awh	EK2UL	BAF57	Cash	CSS	WECD	15	2235021020102,
4	Icds-Training Program	EE0RX	BPJC8	Cash	CSS	WECD	15	2235021020108,
5	Protection And Empowerment Of Women-Comprehensive Scheme For Combating Trafficking Of Women And Children-Ujjawla- Salary	EM06N	BIR2R	Cash	CSS	WECD	15	2235021020130,
6	Protection And Empowerment Of Women-Swadhar Greh- Salary To Staff	EMIBL	B0OKE	Cash	CSS	WECD	15	2235021020132,
7	Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana	EZROI	BMYDK	Cash	CSS	WECD	15	2235021020126,
8	Umbrella Icds Anganwadi Services Supplementary Nutrition	EMW3B	B1IS1	Kind	CSS	WECD	15	2235021020102,
9	Protection and Empowerment of Women- National Mission for Empowerment of Women	EIWK7	B9EWX	Cash	CSS	WECD	15	2235021020127,
10	Protection And Empowerment Of Women-Comprehensive Scheme For Combating Trafficking Of Women And Children-Ujjawla-Facilities To Beneficiaries	E3JR0	BOWXK	Kind	CSS	WECD	15	2235021020130,
11	Protection And Empowerment Of Women-Swadhar Greh-Facilities To Beneficiaries	E60EO	BSZ3Q	Cash	CSS	WECD	15	2235021020132,
12	Umbrella ICDS-Anganwadi Services-Honorarium to AWW and AWH (Grant 30)	ESU2O	BAF57	Cash	CSS	WECD	30	2235021020101,
13	Umbrella ICDS-Anganwadi Services-Supplementary Nutrition (Grant 31)	EZIH7	B1IS1	Kind	CSS	WECD	31	2235027960102,
14	National Creche Scheme-Nutrition	ELCET	BMQUL	Kind	CSS	WECD	15	2235021020134,

15	Umbrella ICDS-Anganwadi Services-Supplementary Nutrition (Grant 30)	EFETC	B1IS1	Kind	CSS	WECD	30	2235021020101,
16	Mukhyamantri Vridh Mahila Poshan Yojana.	COUE5		Cash	State Scheme	WECD	15	2235021040600,
17	Pustahaar Karyakaram Ke Antargat Diya Jane Wala Poshahaar Hetu Edhan, Kachcha Maal Aadi ki Vevastha (31) (Mandey)	CBMHE		Cash	State Scheme	WECD	31	2235027960400,
18	Kishori Balikao Hetu Sanitary Napkeen Ki Vyavastha.	CK0KB		Kind	State Scheme	WECD	15	2235021032700,
19	Nanda Gaura Yojana	CQ27Z		Cash	State Schem	WECD	15	2235021032900,
20	Pustahaar Karyakaram Ke Antargat Diya Jane Wala Poshahaar Hetu Edhan, Kachcha Maal Aadi ki Vevastha (30) (Mandey)	CQ18D		Cash	State Scheme	WECD	30	2235021020202,
21	Mukhyamantri Mahila Aajivika Yojana.	CA986		Both	State Scheme	WECD	15	2235021032400,
22	Pustahaar Karyakaram Ke Antargat Diya Jane Wala Poshahaar Hetu Edhan, Kachcha Maal Aadi Ki Vevastha (Mandey)	CVK33		Cash	State Scheme	WECD	15	2235021020303,

उक्त डीबीटी योजनाओं में लाभ लेने हेतु लाभार्थियों का आधार कार्ड संख्या किसी व्यक्ति की पहचान का अधिकृत प्रमाण होगी। उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकायों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2017 की धारा –4 के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाता है।

(ज) "समेकित निधि" से उत्तराखण्ड की सनेकित निधि अभिप्रेत है;

(झ) "जनसांख्यिकीय" से किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में नाम, जन्म, तारीख, पता और अन्य जानकारी, जो आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अभिप्रेत है; परन्तु इसके अन्तर्गत मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, जातियता, भाषा, हकदारी, आय या चिकित्सा इतिहास के अभिलेख नहीं होंगे;

(ञ) "नामांकन" से ऐसी प्रकिया अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्याएं जारी करने के प्रयोजन के लिए नामांकन करने वाली अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्रित करने के लिए केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय;

(ट) "सरकार" या "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रकिया अभिप्रेत है;

(ड) "सेवा" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में प्रदत्त कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य सेवाएं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय; अभिप्रेत है;

(ढ) 'सहायिकी' से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु में किसी भी रूप में सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य सहायिकियां है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम मे प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो केन्द्रीय अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं।

कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं इत्यादि की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का प्रमाण

3. यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य सरकार की कोई एजेंसी किसी सहायक सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के लिए जिसका व्यय संचित निधि से उपगत किया जाता है या उससे प्राप्ति उसका भाग होती है, की शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की प्रहचान सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति का अभिप्रमाणन कराया जाए या आधार संख्या धारण करने का सबूत दिया जाए या ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसको कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करता है;

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है तो व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रस्थापित किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा स्कीमों को अधिसूचित करना

4. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर और तदोपरान्त समय-समय पर धारा 3 के अनुसार अपेक्षित ऐसी प्राधिकारिता या पुष्टि जिसके लिए स्कीमों, सहायिकी, लाभों या सेवाओं की सूची को अधिसूचित कर सकेगी, जिसके लिए आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान का अधिकृत प्रमाण होगी।

केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और छः का लागू होना

5. केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और छः के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारिता के लिए लागू होंगे।

इस अधिनियम के उपबंधो का अन्या विधियों के अतिरिक्त

6. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।